[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री कठेरिया जी, आप कृपया शान्त रहें। आप और क्या चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया: अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री जी इस पर कुछ तो बोले। ... *(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं चिल्ला नहीं सकता ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप ठीक से व्यवहार करेंगे या नहीं? कृपया मुझे कड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य न करें। कठेरिया जी, मैंने आपको मौका दिया और अब आप ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएँ। यह सब क्या है? सभा में इतना शोर मत मचाइए। मैं और अधिक इसको सहन नहीं करूँगा। कृपया शान्त रहिए।

... *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.14 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब प्रधान मंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे।

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपना उत्तर शुरू करूं मैं अपने सहयोगी और माननीय सदस्य, जिन्होंने उनके परिवार के सदस्यों के पते-ठिकाने के बारे में गम्भीर आशंका व्यक्त की है, को मात्र यह सूचित करना चाहूंगा कि मुझे भी उतनी ही चिन्ता है।

महोदय, ऐसा लगता है कि आपने स्वयं मेरे उत्तर के पश्चात् कल या आज एक अल्पकालीन चर्चा कराने के लिए सहमति दी है। मैं यहां पर बैठूँगा और मैं घटित घटनाओं के बारे में प्रत्येक शब्द सुनूँगा ... *(व्यवधान)* कल नहीं तो आज किसी भी समय ... *(व्यवधान)* मैं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में मेरे पूर्ववर्ती विनिर्णय का उल्लेख कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: यह उत्तर प्रदेश के बारे में है। मैं यह केवल उस माननीय सदस्य को कह रहा हूं। माननीय सदस्य द्वारा एक गम्भीर आरोप लगाया गया। अध्यक्ष महोदय ने मुझे कल बताया था कि उत्तर प्रदेश के बारे में कल एक अल्पकालीन चर्चा हो सकती है। मैं नहीं जानता कि कौन से नियम के अधीन माननीय अध्यक्ष अनुमति देने जा रहे हैं। अब यह सभा और माननीय अध्यक्ष के ऊपर है। मैं केवल सरकार की ओर से एक आश्वासन देने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में व्याप्त कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो इस पर सभा में चर्चा होगी। महोदय, आपने संसद सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति को गठित करने का भी विनिर्णय दिया था। इसी कारण, यह सब बातें उठेंगी ... *(व्यवधान)* नहीं, मैं ... *(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): सबसे पहले, क्या मैं एक बात प्रधान मंत्री जी से जान सकता हूँ? प्रधान मंत्री नियम 184 के अधीन चर्चा के लिए सहमत क्यों नहीं होते? ... *(व्यवधान)*

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय जो भी निर्णय करेंगे वह मुझे स्वीकार्य होगा। मैं नहीं जानता ... *(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन आपको इससे विरोध नहीं है ... *(व्यवधान)*

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: मैं नहीं ... *(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुने ... *(व्यवधान)* विपक्ष के माननीय नेता नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव लाना चाहते हैं। यदि वह यह चाहते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए तो सरकार ऐसा कर सकती है। कृपया इसके बारे में चिंता न करें। यदि यही उनका उद्देश्य है तो इस बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। नियम 184 के अंतर्गत लाये जाने वाले प्रस्ताव से सरकार चाहे गिरे या रहे मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं उस संबंध में चिंतित नहीं हूं। कृपया उस बारे में चिंता न करें।

अब मैं अपने आपको वाद-विवाद के उत्तर तक ही सीमित रखूंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ।

महोदय, प्रारम्भ में मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 'राज्यपाल के अभिभाषण' में भाग लिया ... *(व्यवधान)* मुझे खेद है, 'राष्ट्रपति के अभिभाषण' ... *(व्यवधान)* मुझे दुःख है, महोदय *(व्यवधान)* यह मेरी आदत है *(व्यवधान)* यह मेरी आदत है। ठीक है ... *(व्यवधान)*

इस माननीय सभा के लगभग 52 सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया। उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए है और सकारात्मक आलोचनाएं की हैं। मैं प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने की दृष्टि से उन सभी सुझावों और सकारात्मक आलोचनाओं का स्वागत करता हूँ। माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों का मैं स्वागत करता हूँ और उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

महोदय, मैं पिछली घटनाओं की याद दिलाना चाहूंगा। 1 जून, 1996 को हमने इस देश की बागडोर अपने हाथों में ली थी। 1 जून, 1996 के पूर्व क्या हुआ उनका वर्णन मैं नहीं करना चाहता। मैं 1 जून, 1996 के पश्चात् इस देश में होने वाली घटनाओं का जिक्र कर अपनी यादों को तरोताजा करना चाहता हूँ।

महोदय, 1 जून, 1996 को मेरे विचार से हमारे दल को कोई बहुमत नहीं था। हमारे पास मात्र 44 सदस्य थे। 13 राजनैतिक दलों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया। कतिपय निर्दलीय सदस्यों ने भी अपना समर्थन मुझे दिया। कांग्रेस और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा बाहर से समर्थन प्रदान करने पर आदरणीय राष्ट्रपति जी द्वारा इस सरकार का गठन किया गया।

उस समय इस सरकार के सामने कैसी परिस्थितियां थी? नित दिन आम लोगों, नौकरशाहों, समाचार माध्यमों, देश के बाहर और देश के अंदर यह शंका थी कि विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न् घोषणापत्रों और विभिन्न कार्यक्रमों वाले विभिन्न 13 राजनैतिक दलों से मिलाकर बनी यह सरकार कैसे कार्य करेगी? उस समय देश में वैसी ही स्थिति विद्यमान थी। नौकरशाह भी यही अटकलें लगा रहे थे कि यह सरकार तीन महीने या एक महीना या दो महीने चलेगी। मैं किसी व्यक्ति पर दोष नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन अपने साथियों के साथ मिलकर इस देश को चलाने की जिम्मेवारी जिस दिन अपने ऊपर लिया उस दिन देश में वैसी ही स्थिति विद्यमान थी। महोदय, इसी पृष्ठभूमि में हमने नौ महीने पूरे कर लिए हैं। हमने इन नौ महीनों में क्या हासिल किया? राष्ट्र की प्रगति की दृष्टि से इस सरकार ने इन नौ महीनों में क्या ठोस कार्य किए हैं और इस नए अनुभव से राष्ट्रीय कार्यों को हम सफलतापूर्वक पूरा कर पा रहे हैं या नहीं ये सभी बातें अब हम सभा के समक्ष रखेंगे।

विगत नौ महीनों के दौरान हमने क्या किया इसकी विवेचना अब हम करेंगे। महोदय, प्रथम 12 दिन तक अनिश्चितता बनी हुई थी सरकार की स्थिरता का पता सभा में मतदान और बहुमत से स्थापित होती है। 12 जून को विश्वास प्रस्ताव प्राप्त किया गया। 12 जून के उपरांत हमने अपना कार्य प्रारम्भ किया।

महोदय, हमारे दल का अपना कार्यक्रम, अपना चुनाव घोषणापत्र और अपनी विचारधारायें हैं। हमने एक साथ बैठकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम को स्वीकार किया। जह हमारा दिशानिर्देश था। यह हमारा मानदंड है। आपस में किसी बड़ी समस्याओं का निर्माण किए बिना हम अबाध रूप से कार्य करना चाहते हैं। हमारी यह इच्छा है कि यह नया प्रयोग सफल हो और ग्यारहवीं लोक सभा हेतु लोगों द्वारा दिये गये अपने निर्णय का सम्मान हो। कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या छोटे-छोटे ग्रुपों में से किसी को जनादेश प्राप्त नहीं था। किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट जनादेश प्राप्त नहीं था। इस पृष्ठभूमि में जब हमने यह जिम्मेवारी संभाली तो हमारी यह कोशिश थी कि समर्थन देने वाले दलों और सरकार में शामिल दलों के सहयोग से यह प्रयोग सफल रहे।

महोदय, विगत सात-आठ महीनों में हमने जो कुछ भी किया उसे इस सभा के माध्यम से मैं पूरे राष्ट्र के समक्ष रख रहा हूँ। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कृषि, क्षेत्रीय असमानतायें और रक्षा संबंधी उठाये गये मुद्दों पर मैंने ध्यान दिया है। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा इस सभा में उठाये गये कुछ मुद्दों पर भी मैने ध्यान दिया है। आपकी अनुमति से मैं उन सभी मुद्दों का जिक्र करना चाहूंगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि हमने कृषि क्षेत्र के लिए क्या किया है। मैंने उनका भाषण सुना है। इस सभा में विश्वासमत प्राप्त करने के पंद्रह दिन के अंदर डाई-अमोनियम सल्फेट और फास्फेटिक उर्वरकों पर हमने 2500 करोड़ रुपए की राज सहायता प्रदान की। यह हमारा पहला निर्णय था। जिसे हमने लिया। मुझे पता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक नीतिगत दस्तावेज है। इस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की चर्चा में बाद में करूंगा। सात महीनों में हमने क्या किया? इस राष्ट्र के लोगों को हमसे यही उम्मीद है क्योंकि वे हमारे मास्टर हैं। विगत सात-आठ महीनों का लेखा-जोखा हमें उनके समक्ष प्रस्तुत करना है।

महोदय, किसानों को 2500 करोड़ रुपए की राजसहायता का ही परिणाम है कि हमारे कृषि क्षेत्र का उत्पादन 191 मिलियन टन तक पहुंच गया है। यही एक मुद्दा है जिसे मैं कहना चाहता हूँ।

एक विभिन्न राजनीतिक वातावरण में काम करने के फलस्वरूप हमने सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। इस साझा सरकार में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल सम्मिलित हैं और मैं एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच भेदभाव नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई। यह मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन दो दिनों तक दिल्ली में चला। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया। यह निर्णय उन सात क्षेत्रों का पता लगाना था, जो सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के विचार में प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं और उनके लिए अधिक धन आवंटित किया जा सके। 1996-97 का पहला बजट डा. मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया था। चुनाव के बाद 1996-97 के लिए दूसरा बजट सभा में पेश करने का अवसर हमें मिला। उस उद्देश्य के लिए, उन नौ महीनों के बजट में हमने 2,466 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया था और उसे सभी राज्यों में वितरित किया गया था। इसमें किसी एक पार्टी की सरकार या दूसरी पार्टी की सरकार के बीच कोई भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं था। हमने एक दृढ़ निश्चय लिया है। हमारी पार्टी द्वारा लिया गया यह दूसरा कदम था।

मैं अपने वर्ष 1996-97 के बजट की कुछ मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख करता हूँ। मैं इसका श्रेय नहीं लेता। तीन वर्ष और दस महीने की अल्पावधि के लिए मैं भी इस सभा का सदस्य था। जब मैंने "राज्यपाल का अभिभाषण" शब्दों का उपयोग किया तब कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। 35 वर्षों तक मैं विधान सभा में था... *(व्यवधान)* हम आजकल ऐसी ही प्रक्रिया अपनाते हैं। चार वर्षों तक मैं वहाँ बैठता था। हमारे वरिष्ठ नेता श्री जार्ज फर्नान्डीज यहां मौजूद थे। श्री जॉर्ज फर्नान्डीज और हम साथ-साथ थे। सौभाग्य से जब मैं वहां बैठता था तब भी मैं उनके नजदीक नहीं आ पाता था ... *(व्यवधान)* मैं वहां बैठा करता था।

[श्री एच. डी. देवेगौड़ा]

मैंने भूतपूर्व कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ से इसी सभा में—हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष यहाँ बैठते थे—फास्फेटिक उर्वरक और डाईअमोनियम सल्फेट पर राजसहायता फिर से बहाल करने का अनुरोध किया था, अन्यथा कृषि समुदायों को नुकसान उठाना पड़ेगा। रिकार्ड से इस बात का पता चल सकता है। मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। मुझे इस बात की कतई जानकारी नहीं थी कि मैं इस देश का प्रधान मंत्री बनने जा रहा हूँ। ... *(व्यवधान)*

पहला निर्णय जो हमने लिया वह यह है कि कृषि समुदाय से संबंधित क्षेत्रों का पता लगाया जाए। हमने सिंचाई हेतु बजट उपलब्ध कराने के लिए हमने सरकार से केवल इसी सभा में ही नहीं अनुरोध किया था बल्कि बाद में प्रधान मंत्री और सिंचाई मंत्री से भी इस दिशा में अनुरोध किया था। हमने सिंचाई कार्य में तीव्रता लाने के लिए 900 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। डा. मुरली मनोहर जोशी इस सभा में मौजूद नहीं हैं। हमने 18 हार्स पावर वाले ट्रैक्टरों और पावर टीलरों पर राज सहायता उपलब्ध करायी है।

यह सरकार ग्रामीण जनता के प्रति वचनबद्ध है। यह सरकार समाज के विशेषकर कृषि क्षेत्र से संबंधित कमजोर तबके के लोगों के प्रति वचनबद्ध है *(व्यवधान)*। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा... *(व्यवधान)* मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वे कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं सहयोग के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने की अनुमति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण जारी रखें। यदि वे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे बाद में पूछ सकते हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, गंदी बस्तियों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं। हम सभी धनी व्यक्ति हैं और यही कारण है कि हमने इन लोगों के लिए इस बजट में 250 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।

महोदय, हमने अब तक जो किया उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। यह श्रेय लेने के उद्देश्य से नहीं किया गया है। देश के बाहर यह धारणा बनी हुई है कि यहाँ लाल-फीताशाही, भ्रष्टाचार और नौकरशाहों द्वारा निवेश में अड़चन होती है। विदेशों में देश के बारे में यही धारणा है। डा. मनमोहन सिंह ने स्वत: इस बात को स्वीकार किया है कि प्रक्रियात्मक संबंधी अड़चनों के फलस्वरूप वह विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दे सके। यह उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। हमने आर्थिक सुधारों में, चाहे वह आधारभूत संस्थापनाओं का विकास या औद्योगिक विकास हो; या कृषि क्षेत्र या ऊर्जा क्षेत्र हेतु निजी निवेश हेतु धन हो, तीव्रता लाने के मुख्य उद्देश्य से शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हेतु कुछ कदम उठाये हैं।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन था। मैंने उद्योग मंत्री को शक्तियाँ सौंपी थी। चार या पाँच महीनों की छोटी कालावधि के भीतर केन्द्र सरकार के समक्ष, मेरे विचार से सात मिलियन डालर की धनराशि वाली लम्बित सभी परियोजनाओं का निपटान कर दिया गया था।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): इसमें हवाला धनराशि कितनी थी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): श्रीमान्, यह पूर्णत: अस्वीकार्य... *(व्यवधान)* क्या यह व्यवधान के रूप में भी उचित था? प्रधान मंत्री के भाषण में टोकाटाकी करने की भी एक सीमा होनी चाहिए जब वह अभिभाषण का उत्तर दे रहे हैं। निराधार आरोप लगाने की भी एक हद होनी चाहिए। क्या विपक्ष के नेता इसका समर्थन करेंगे?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया। कृपया इसे दोहराएँ ... *(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: उन्होंने कहा कि हवाला धनराशि क्या थी... *(व्यवधान)* इस बात का क्या अर्थ है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: हम किसी भी प्रकार के व्यवधानों के पक्ष में नहीं हैं। प्रधानमंत्री यह जानते हैं ... *(व्यवधान)*

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी. वेंकटरामन): इसकी कोई सीमा होनी चाहिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपने नेताओं को स्थिति से निपटने क्यों नहीं देते हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : श्रीमान्, मैं न केवल भाजपा के सदस्यों से बल्कि सभी पक्षों के माननीय सदस्यों को कहना चाहूँगा कि इन नौ महीनों में यदि हम किसी घोटाले में या किसी हवाला में लिप्त रहे हैं— कृपया हर स्तर पर राजनीति न करें– मैं फिर से दुहराना चाहूंगा कि यदि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान यदि कोई घोटाला हुआ हो या कोई हवाला लेन देन हुआ है तो मामले को सभा के समक्ष लाया जाये और इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। यदि मैं संलिप्त हूं, तो मैं इसी सभा में अपना त्यागपत्र दे दूंगा। यदि मेरे सहयोगी संलिप्त हैं, मैं उन्हें हटा दूंगा। मैं आपको इस हद तक आश्वस्त कर सकता हूं। कृपया भगवान के वास्ते, हमें ऐसे ही मत छोड़िए। आपको अविश्वास प्रस्ताव या नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का प्रस्ताव लाने का पूरा अधिकार और विशेषाधिकार है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर): आपकी सरकार के मंत्री ने 546 करोड़ रुपये के एक मामले के बारे में उत्तर नहीं दिया। यह एक बड़ा घोटाला है... *(व्यवधान)* मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ था ... *(व्यवधान)* .. उसे सभा में स्वीकारा गया था परन्तु वह नामों को सामने नहीं ला रहे हैं ... *(व्यवधान)* वे क्या बात कर रहे हैं?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं सुनने के लिए तैयार हूं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री को अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: मैंने मात्र यह कहा था 'यह सरकार', पिछले नौ महीनों में देवेगौड़ा के नेतृत्व में केन्द्र सरकार।

श्री बनवारी लाल पुरोहित: मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: आप उस पत्र को सम्भाल कर रखिए। उस पत्र को बेकार मत जाने दीजिए। उसे एक उचित समय पर प्रयोग में लाइए। बस यही मैं इस विषय पर कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की शक्तियों का प्रत्यायोजन केवल यह देखने के लिए किया गया था कि परियोजनाओं को समय पर निपटाया जाए, निवेशकों में विश्वास पैदा हो और नौकरशाही या राजनीतिक किसी भी स्तर पर कोई विलम्ब न हो। इस पृष्ठभूमि के साथ मैंने यह निर्णय लिया था।

बिजली परियोजनाओं के बारे में, आठ वृहत् बिजली परियोजनाएं थी जिनके लिए पूर्व सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए थे। केवल दो बिजली परियोजनाओं में सरकार द्वारा प्रति-गारन्टी दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने, जब शरद पवार जी मुख्य मंत्री थे, इनरान परियोजना को मंजूरी दी थी। और उसके बाद क्या हुआ, हम सभी बातों को जानते हैं। तत्पश्चात् वर्तमान सरकार न्यायालय के समक्ष एक शपथपत्र दाखिल करने की सीमा तक गई थी। जो कुछ भी आरोप लगाए गए थे वो मात्र राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत लगाए गए थे और कुछ भी गलत नहीं है। यह है उसकी स्थिति।

ऐसा क्यों है कि आठवीं योजना में हम बिजली क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। मैं आंकड़ों संबंधी ब्यौरों में नहीं जाना चाहता। आज की स्थिति में एक या दो राज्यों को छोड़कर पूरे देश में बिजली की समस्या अत्यंत गम्भीर है। यदि मात्र तीन घण्टों, चार घण्टों, या ज्यादा से ज्यादा छह घण्टों के लिए भी किसी राज्य में बिजली कृषकों को उपलब्ध करायी जाती है तो वह राज्य सर्वाधिक खुशहाल राज्य है। एक या दो राज्यों के अलावा, सभी जगह बिजली की समस्या गम्भीर है।

आगामी पांच वर्षों में, यदि हम लक्ष्य जो कि हमने नौवीं योजना के लिए निर्धारित किया है को प्राप्त करना है तो न केवल बिजली के उत्पादन बल्कि वितरण और आवंटन के लिए भी—यह कुल मिलाकर लगभग 3,20,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं—हम धन को कैसे प्राप्त करेंगे। हम संसाधनों को कैसे उत्पन्न करेंगे? क्या हमारे लिये स्वदेशी या विश्व स्तरीय निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाए बिना संसाधनों को उत्पन्न करना सम्भव है? हमने यह निर्णय इसलिए लिया था कि इन परियोजनाओं में विलम्ब न हो। इस सरकार के बारे में विदेशी निवेशकों में सबसे पहले यह शंका थी कि क्या यह सरकार बचेगी और क्या वहाँ पर स्थिरता होगी? उन लोगों के अनुसार सरकार की जिन्दगी बीच में फंसी हुई थी। हर दिन जब आप मीडिया और समाचार पत्रों का अवलोकन करते थे तो आपको पहला मुद्दा यह मिलता था कि यह सरकार कल जाएगी, या अगले सप्ताह जाएगी, लेकिन हमने नौ महीने पूरे कर लिए हैं। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जिन विषयों पर हम निर्णय लेना चाहते थे, हमने निर्णय लिया। यह सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, ये मेरी चिन्ता नहीं है।

आज, पूरे देश में और पूरे विश्व में मेरे साथी चिदम्बरम महोदय द्वारा बजट के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् एक माहौल उत्पन्न हुआ है। आज सभी ओर से निवेशकों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा, आम आदमी द्वारा प्रशंसा की जा रही है। यह राय है जो कि हमने कायम की है।

मैं उन क्षेत्रों को गिनाना चाह रहा हूं जिनको हमने बजट में सम्मिलित किया है। बिजली क्षेत्र, हाँ, मैंने इसको विकेन्द्रीकृत किया। मैंने इसे राज्यों के लिए छोड़ दिया। 250 मेगावाट्स तक की परियोजनाओं को राज्य मंजूरी दे सकते हैं। उनको हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वे अधिक परिमाण की बिजली परियोजना लगाना चाहते हैं तो उन्हें आना होगा और वो भी मात्र तीन बातों के लिए। एक ईंधन है क्योंकि हमें इसका आवंटन करना होता है इसके बाद में आवंटन की समस्या आती है; यदि वे अधिक बिजली पैदा करते हैं तो राष्ट्रीय ग्रिड को इसे खरीदने के लिए सहमत होना होगा।

तकनीकी व्यवहार्यता और मूल्य नियतन के बारे में, मान लीजिए कि एक राज्य 6 रुपए प्रति यूनिट कहता है तो हम कैसे खरीद सकते हैं? केवल इन तीन मुद्दों पर केन्द्र सरकार से या संघ सरकार से परामर्श करने के लिए हमने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि दो महीनों या आठ सप्ताह के भीतर हम इन परियोजनाओं को मंजूरी देने वाले हैं। परियोजना का परिमाण और आकार चाहे जो भी हो, हम इसे रोकना नहीं चाहते, हम अनावश्यक रूप से इसमें विलम्ब नहीं करना चाहते। यदि यह 250 किलोवाट और अधिक है तब उन्हें केन्द्र सरकार के पास आना होगा। इस प्रकार हमने शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है और राज्य सरकारों से सहयोग का अनुरोध किया है।

श्रीमान्, कुछ लम्बित मामलों के बारे में जैसे नेपाल और हमारे देश के बीच महाकाली संधि, बंगला देश और भारत के बीच नदी जल का बंटवारा, मैं यह नहीं कहूंगा कि हमने एक चमत्कार कर दिया है परन्तु हमने अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए सच्चे दिल से प्रयास किए हैं। आप चाहे प्रशंसा करे या नहीं अब लोग ही इस बात का निर्णय करेंगे। मैं चिन्तित नहीं हूँ। परन्तु बात यह है कि हमने इसे सात या आठ महीनों की छोटी कालावधि में किया। मैं इसे एक व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं लेने जा रहा हूँ; यह इस सभा की उपलब्धि है क्योंकि आप सभी ने सहयोग दिया और हमने अपनी ओर से देश के लिए कुछ कार्य किया।

[श्री एच. डी. देवेगौड़ा]

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के मामले में भी, यदि आप लोग सहयोग नहीं करते, यदि देश के लोग सहयोग नहीं देते। तब सरकार के लिए इस प्रकार कठिन निर्णय लेना सम्भव नहीं हो पाता। मैं कह सकता हूं कि यह एक अल्पमत सरकार है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास कांग्रेस के बाहरी समर्थन सहित 330 माननीय सदस्य हैं। यह एक दूसरा विषय है। जब तक मुझे लोगों का सहयोग न मिले, जब तक कि मुझे सभा का सहयोग न मिले, मेरे लिए कतिपय कठोर निर्णयों को ले पाना वास्तविक रूप से कठिन होता। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के मुद्दे पर भी, यह अपेक्षा रखते हुए कि सभा हमारा साथ देगी, हमने कठोर निर्णय लिया। उस बात के लिए, मैं पूरी सभा के प्रति उनके सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

जब हमने पृथ्वी के सफल प्रक्षेपण पर अपने वैज्ञानिकों को बधाई दी थी तो उस दिन कुछ लोगों ने पूछा था कि अग्नि के बारे में क्या प्रगति है? दूसरा पक्ष भी अपनी चिन्ता को व्यक्त कर रहा था। मैं सभा से कहना चाहूँगा कि जहाँ तक सरकार द्वारा हमारे वैज्ञानिकों को आवश्यक समर्थन देने का संबंध है, हम पूरा सहयोग देंगे। "अग्नि" प्रक्षेपास्त्र के विषय में भी हम पूर्ण सहयोग देंगे। यही मैं इस समय कह सकता हूं।

क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में, मैं कहना चाहूँगा कि आज भी, स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद जब हम 1997 में स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं, मेरे विचार से छह राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और ... *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : आन्ध्र प्रदेश

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: नहीं, वह असम है। ऐसे छह राज्य हैं।

जहाँ तक उत्तर पूर्वी राज्यों का संबंध है, वे एक साथ, एक अलग वर्ग में आते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में न केवल पिछड़ापन अपितु वहाँ पर उग्रवाद की भी समस्या है। मैं विवरण देने जा रहा हूँ कि हमने वहाँ पर क्या किया। मैंने व्यक्तिगत रुचि ली और अपने सभी अधिकारियों को वहाँ लेकर गया। मैं वहाँ पर साढ़े छह दिन रुका। राजनीति को परे रखकर, मैंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों, ईसाई मिशनरियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, विधायकों चाहे वो किसी भी दल के क्यों न हो, के साथ बैठकें की। मैं समाज के प्रत्येक वर्ग से प्रति सूचना प्राप्त करने के लिए मिलने का प्रयास किया। मैंने गोहाटी छोड़ने से पहले एक वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श करने के पश्चात् हमने 6100 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को विनिर्दिष्ट किया। वहाँ गृह सचिव भी थे। कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे। मैं इस प्रतिष्ठित सभा के सम्मुख उल्लेखित करना चाहूँगा कि उन सभी कार्यों को वार्षिक बजट में सम्मिलित किया जा चुका है और कुछ प्रमुख परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। श्रीमान् कुछ आबंटनों को प्रथम वर्ष 1997-98 के लिए किया गया और अधिक प्रमुख परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया।

कश्मीर में भी यही स्थिति है। मैंने वहां तीन दौरे किए। मैंने वहां कुछ वित्तीय पैकेजों की भी घोषणा की थी। महोदय, ईमानदारी से कहूं, हम उस वित्तीय पैकेज को लागू करना चाहते थे जिसकी हमने घोषणा की थी। उन सभी को स्वीकृति दी जा चुकी है। इस वर्ष के बजट में भी हमने कुछ धनराशि प्रदान की है। इसका ब्यौरा वित्त मंत्री जी द्वारा दिया जाएगा। वे सभी महत्वपूर्ण कार्य भी नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाए गए थे।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): बिहार के संबंध में आपका क्या कहना है?

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: हमने बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए विशेष पैकेज नहीं दिया है। मैंने आर्थिक पैकेज केवल पूर्वोत्तर राज्यों और कश्मीर के लिए ही घोषित किए हैं।

श्री नीतीश कुमार: आपने बिहार से गंगा जल लिया है परन्तु आपने बिहार के हित का ध्यान नहीं रखा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, आप इन छह राज्यों के लिए भी कोई पैकेज की घोषणा प्रस्तुत करें। ... *(व्यवधान)* आप बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज दिये जाने पर कब विचार करेंगे?

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर): छह महीने से ज्यादा हो गए हैं। कश्मीर के एक भी प्रोजैक्ट पर काम शुरू नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: कृपया इन्तजार करें। मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या किया है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझता कि प्रधान मंत्री प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी अब आप जारी रख सकते हैं।

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: चिन्ता न करें।

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर): प्रधान मंत्री जी पहले भाषण समाप्त कर लें। शंका और समाधान की बात बाद में हो जाएगी। अगर माननीय सदस्य ऐसे ही टोकते रहेंगे और प्रधान मंत्री उनका जवाब देते रहेंगे तो भाषण का सिलसिला टूट जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: महोदय, माननीय सदस्य की सुविधा के लिए मैं इस सूची से आंकड़ों को पढ़कर सुनाता हूँ। इस सूची में केन्द्रीय कार्य शामिल हैं जिसमें वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना शामिल है।

इस वर्ष हमने उधमपुर-बारामुला रेलवे लाइन के लिए 100 करोड़ रुपये दिए हैं। हमने चालू वर्ष के बजट में उड़ी जल विद्युत परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये; 112 करोड़ रुपये दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के लिए; राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु एक वर्ष के लिए 12 करोड़ रुपये; 10 करोड़ रुपये मुगल सड़क के लिए; 2.4 करोड़ रुपये लेह में एक कन्वेंशन केन्द्र की स्थापना के लिए; 23 करोड़ रुपये कारगिल हवाई अड्डे के विकास के लिए; 300 करोड़ रुपये ग्रामीण आधार संरचना और मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए और पाँच करोड़ रुपये डल झील के अवमल संघटक के लिए दिए हैं। उधार लेने वालों को मिलने वाली ऋण राहत लगभग 118 करोड़ रुपये हो गई है। हमने 50,000 रुपये की दर से ऋण माफ किया है।

महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना में परियोजनाओं की सूची में उधमपुर-बारामुला रेलवे लाइन के लिए 2,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। हमने नौवीं पंचवर्षीय योजना में दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना को भी शामिल किया है और उसके लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। कारगिल हवाई अड्डे के विकास के कार्य को भी नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है और इसके लिए हमने 23 करोड़ रुपये दिए हैं। हम इसे पूरा करना चाहते हैं परन्तु यदि यह कार्य आगे चला तो यह अगले वर्ष भी जारी रहेगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय इससे और अधिक असंतुलन होगा।

अध्यक्ष महोदय: रूडी जी, आपको हस्तक्षेप करने की बहुत ज्यादा आदत है।

... *(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, जम्मू-कश्मीर के माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि हमने राज्य के लिए क्या किया है। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त: 700 करोड़ रुपयों में से 400 करोड़ रुपया दिया।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, पहली बार एक वित्त वर्ष में जम्मू-कश्मीर के लिए 1550 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना है।

इसी प्रकार, हमने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज दिए हैं। मेरे पास सूची है जो स्वीकृत की जा चुकी है और चालू वर्ष तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की जा चुकी है। मैं वे सभी बातें यहाँ पढ़ना नहीं चाहता परन्तु अगर यह आवश्यक होगा तो मैं इसे सभी माननीय सदस्यों में परिचालित कर दूँगा। यह सूची उन कार्यों को दर्शाती है जो हमने चालू वर्ष के बजट और नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़)*:* नर्मदा योजना के बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: पहले मुझे अपना अभिभाषण पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कृपया मुझे सहयोग दें।

महोदय, यह दस्तावेज, राष्ट्रपति का अभिभाषण, सामान्यत: एक नीतिगत दस्तावेज है। इसमें अगले वर्ष, अर्थात् 1997-98 के लिए हमारे कार्यक्रमों का विवरण है। इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए उनके अभिभाषण में घोषित कार्यक्रमों के लिए आवश्यक निधियां आवंटित की गई है या नहीं। इसमें आगे यह कहा गया है कि क्या हमने उन कार्यक्रमों के बारे में सोचा है या नहीं। ... *(व्यवधान)*। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे मेरी बात समझने की कोशिश करें।

महोदय, न्यूनतम मौलिक सेवा कार्यों के लिए पिछली बार हमने 2446 करोड़ रुपये दिये थे और इस बार हमने इसे बढ़ाकर 3300 करोड़ रुपये कर दिया है। हमने पी.डी.एस. के लिए 8000 करोड़ रुपये दिए हैं।

जार्ज साहिब और मैंने संयुक्त रूप से एक जन सभा को संबोधित किया है। उर्वरक सब्सिडी और खाद्य सब्सिडी के संबंध में हमने संयुक्त रूप से एक जन सभा को संबोधित किया था। कम से कम आपको इतना तो कहना चाहिए "आपने कुछ अच्छा काम किया है"। आपको ऐसा जरूर कहना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इस श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को कितना धन दिया गया। ... *(व्यवधान)* जरा रुकिए। असम को इस श्रेणी के अन्तर्गत 472 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। केरल को मिलने वाला धन सबसे अधिक है क्योंकि उन्होंने इस स्कीम को शुरू से लागू किया है। केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और जहां तक मुझे ज्ञात है महाराष्ट्र ने भी इस स्कीम को पहले ही लागू कर दिया है। चूंकि इन सभी राज्यों ने इसे पहले ही लागू कर

[श्री एच. डी. देवेगौड़ा]

दिया है और पी.डी.एस. को राज सहायता दे दी है इसलिए उन्हें कुछ और धन मिलेगा। अन्य राज्य उन लोगों की पहचान करें जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और हमने इस संबंध में राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। ... *(व्यवधान)*। मैं प्रत्येक राज्य को आवंटित की गई धनराशि के संबंध में बताऊंगा। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार)*:* हरियाणा को कितना धन दिया है? ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कोई प्रश्नकाल नहीं है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: आन्ध्र प्रदेश को लगभग 452 करोड़ रुपये, असम को 472 करोड़ रुपये, बिहार को 314 करोड़ रुपये, गुजरात को 279 करोड़ रुपये और जम्मू को 536 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। यह राशि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से संबंधित लकड़ावाला सिद्धान्तों पर आधारित है। यह योजना आयोग द्वारा अपनाए गए सिद्धान्तों और दिशानिर्देशों पर आधारित है। 8000 करोड़ रुपये की यह धनराशि राज्य में इस स्कीम को कार्यान्वित किये जाने से लाभान्वित लोगों में वितरित की जाएगी। अगर कोई राज्य इस घोषित स्कीम का लाभ नहीं उठा रहा है तो हम उसे सीधे नहीं... *(व्यवधान)*।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश: हरियाणा में बहुत गरीब रहते हैं। जब आप सभी राज्यों का बता रहे हैं तो हरियाणा का भी बता दीजिए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: खाद्य सब्सिडी और कृषि सब्सिडी दोनों मिलाकर लगभग 17,800 करोड़ रुपये होता है। जब तक राज्य सरकारें इस स्कीम को लागू नहीं करती तब तक सब्सिडी की राशि को जारी करने का प्रश्न नहीं उठता। हम किसी राज्य को तब तक यह राशि जारी नहीं करेंगे जब तक वे हमें सहयोग नहीं करते, लाभ प्राप्त करने वालों की पहचान करके उन्हें कार्ड जारी नहीं करते और सभी प्रकार की आधार-संरचना तैयार नहीं करते। विशेषकर, इस धन को किसी अन्य काम के लिए लगाए जाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया है कि कम से कम अगले दो महीनों में लाभ प्राप्त करने वालों की पहचान कर ली जाए। यह धन व्यापारियों के पास नहीं जाना चाहिए। यह सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि यह अपार धनराशि निहित स्वार्थ वाले लोगों की जेबों में न जाए। मैं इस सदन के माध्यम से सभी मुख्यमंत्रियों को यही बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। वे इस मौके का लाभ उठाएं और इस स्कीम को यथाशीघ्र लागू करने की कोशिश करें। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री एस.पी. जायसवाल (वाराणसी)*:* राज्यपाल महोदय से भी माँग लीजिए। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, अब मैं सिंचाई क्षेत्र के संबंध में बात करता हूँ। हमारी जिम्मेदारी क्या है? श्री शरद पवार जी ने अनेक मुद्दों का उल्लेख किया है। अब हम सब के समक्ष क्या उत्तरदायित्व है? केवल विद्युत क्षेत्र में 3,20,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। सभी लम्बित सिंचाई कार्यों अथवा उन कार्यों को पूरा करने के लिए, जो विगत कई वर्षों से लटक रहे हैं, हमें लगभग 40,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है.... *(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

श्री नीतीश कुमार : आप केवल श्री शरद पवार का ध्यान रखे। अन्य लोग भी बोले हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: आपने आधारभूत न्यूनतम कार्यक्रम के बारे में सुझाव दिया है। कृषि क्षेत्र के संबंध में अपने भाषण में आपने भी इन सभी बातों का उल्लेख किया है। केवल विद्युत क्षेत्र में, आपने हमारे समक्ष जो भार है उसके बारे में बताने का प्रयास किया था। आधिकारिक आंकड़ा 3,51,000 करोड़ रुपये का है।

जहाँ तक सिंचाई परियोजनाओं का संबंध है 194 बड़ी तथा 176 मध्यम स्तर की परियोजनाएं विगत 20-25 वर्षों से लम्बित हैं। इन परियोजनाओं को वर्तमान दर से पूरा करने के लिए लगभग 42,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। आखिरकार, हमने केवल 1300 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं।

महोदय, आवास के लिए हमने शहरी लोगों के लिए, जो गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं, 330 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं और हमने पहली बार यह योजना चलाने का प्रयास किया है। मेरे विचार से यह देश समाज के केवल कुछ धनी वर्गों का ही नहीं है। उन लोगों की कोई आवाज नहीं है। गरीब लोगों के लिए कोई योजना नहीं है। भूमिहीन श्रमिकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए हमारे पास अम्बेडकर योजना अथवा इन्दिरा आवास योजना है। ... *(व्यवधान)*

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) **:** लाभार्थियों का चयन बहुत दोषपूर्ण है... *(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं यह जानता हूं। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आप अपना धैर्य क्यों छोड़ रहे हैं। इन्दिरा आवास योजना तथा अम्बेडकर योजना भूमिहीनों तथा उन लोगों के लिए है जिनके पास छतें नहीं हैं। जिस व्यक्ति के पास दो एकड़, तीन एकड़ अथवा पांच एकड़

भूमि है तथा जो कुछ घर बनाना चाहते हैं जिनमें कुछ आधुनिक सुविधाएं होगी, ऐसा कोई नहीं है जो उसके लिए धनराशि देना चाहे। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. उपेन्द्र: लाभार्थियों का चयन त्रुटिपूर्ण है। धनराशि उचित रूप से वितरित नहीं की जा रही है। यह आपके ध्यान में पहले ही लायी जा चुकी है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: इन्दिरा आवास योजना तथा अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की पहचान उन मकानों के लिए की जानी है जो हम आवंटित कर रहे हैं अथवा उन निधियों के लिए जो हम आवंटित कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्यों की एक मांग यह देखना है कि लाभार्थियों की पहचान हमारे द्वारा की जाये। यह एक मांग है। लेकिन एकमात्र बात यह है कि पंचायतराज संस्थाएं हैं, जिसको हमने सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया है। यह मामला कि क्या हमें लाभार्थियों की पहचान करने के लिए पुन: शक्तियाँ लेनी चाहिए अथवा उनको अनुमति लेने के बारे में सभा द्वारा पुन: निर्णय किया जाना है। महोदय, मेरा मार्गदर्शन केवल यह सभा करेगी। मैं इस चरण पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।

[हिन्दी]

श्री येल्लैया नंदी (सिद्दीपेट): इंदिरा आवास स्कीम में एम.पीज. को शामिल नहीं किया जा रहा है। केवल जिले के कलक्टर पैसे को तकसीम कर रहे हैं। यह केन्द्र सरकार की स्कीम है इसलिए संसद सदस्यों को भी इसमें शामिल करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। *(व्यवधान)* पहली बार हमने वित्तीय संस्थाओं से, चाहे वह जीवन बीमा निगम हो या बैंककारी संस्था हो, प्रति मकान 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारम्भ की है। इस बार प्रारम्भ में हम 50,000 लाभार्थियों की पहचान करना चाहते थे। हम यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भ करना चाहते हैं। मैंने स्वयं कुछ वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालक अधिकारियों के साथ चर्चा की जिन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम मकान की मूल्यवृद्धि की आशा नहीं कर सकते जैसाकि हम शहरी क्षेत्रों में करते हैं। उसके अतिरिक्त, हम भूमि को समानान्तर प्रतिभूति के रूप में नहीं ले सकते। इसी वजह से हम जोखिम नहीं लेना चाहते। वे इस प्रश्न कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास ऋण क्यों नहीं दे रहे हैं, के उत्तर में यह तर्क देने का प्रयास करते हैं। जब मैंने अधिकारियों के साथ चर्चा की, तो वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। इस देश में, किसी को इस विषय पर चर्चा चलानी थी। मुझे इस बात का पता नहीं है कि क्या यह भाग्य है जो मेरे सिर पर रहा है लेकिन अब इस उत्तरदायित्व को निभाया गया है।

मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। बैंककारी क्षेत्र में 39000 करोड़ रुपये के अशोध्य ऋण थे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): क्या श्री पी. चिदम्बरम कुछ नहीं कर रहे हैं?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: वे भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये कल ही इकट्ठे नहीं हुए हैं। लगभग 4000 और कुछ करोड़ रुपये के अशोध्य ऋण पहले ही माफ कर दिये गये हैं। हमने कई बार ग्रामीण लोगों के बारे में सोचा क्योंकि वे संगठित नहीं हैं, उनका कोई आवास नहीं है और हमें कुछ करना है।

कल बजट भाषण में श्री पी. चिदम्बरम ने कहा है कि पहली बार कृषि क्षेत्र के लिए ऋण बढ़कर 6000 करोड़ रुपये हो गया था। क्या यह उपलब्धि नहीं है? हम उससे भी आगे जाना चाहते थे। इस संबंध में किसी प्रकार के संकोच का प्रश्न नहीं है। हमने अवसरंचनात्मक विकास निधि प्रदान की है जो तीसरे चरण में है, और जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए 3300 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। मेरे साथी, श्री येरानायडू, जो इस सुनिश्चित रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना को देख रहे हैं, जानते हैं कि केवल ग्रामीण विकास के लिए हमने इस बार लगभग 9000 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं। 8000 करोड़ रुपये योजना व्यय के अन्तर्गत हैं। हमने इसे बढ़ाकर 9000 करोड़ रुपये कर दिया है। क्या यह गरीब लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है कि हमने यह किया है? जो कार्यक्रम हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा प्रारम्भ किया है वह मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है। हमने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए भी पर्याप्त तोशक, पर्याप्त आवंटन प्रदान किए हैं।

कस्तूरबा गांधी के नाम पर हमने एक नई योजना चलाई है, अर्थात् लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल प्रारम्भ किए हैं। हमने लड़कियों के लिए आवासीय स्कूलों के लिए 250 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

जब मैं मेवाड़ क्षेत्र में गया, तो मैंने यह जाना कि दो प्रतिशत लोग भी शिक्षित नहीं हैं। वहां रहने वाले अस्सी प्रतिशत लोग मुस्लिम हैं। जब मैं मध्य प्रदेश गया—हमारे कुछ संसद सदस्य, जो यहां हैं वे यह जानते हैं—तो एक जनजातीय सम्मेलन में जनजातियों द्वारा दिये गये ज्ञापन में यह दर्शाया गया था कि जनजातीय क्षेत्र में यहां तक कि दो प्रतिशत भी साक्षरता नहीं है। मैंने वित्त मंत्री को यह कहा कि हम इसे इस तरह जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते। आवासीय स्कूलों को चलाने का सारा उत्तरदायित्व, योजना, आवास, वस्त्र, पुस्तकें, सभी कुछ सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। हमने 200 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। प्रत्येक स्कूल पर एक करोड़ रुपये व्यय होगा और 250 स्कूल हैं। हम स्वयं इस वर्ष 250 स्कूल प्रारम्भ कर रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): प्रधान मंत्री जी, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में पैंतालीस

[कुमारी ममता बनर्जी]

बालिका स्कूलों की पहले ही मान्यता समाप्त कर दी है। मान्यता समाप्त करने का अर्थ यह है कि सरकार ने स्कूलों का अधिग्रहण किया। सरकार ने पहले ही एक प्रस्ताव पारित किया है कि उन्हें सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाना चाहिए। इस तरह से उनका अधिग्रहण किया गया था। इसकी पहले ही घोषणा की गई है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं।

कुमारी ममता बनर्जी: यह सरकार द्वारा किया गया है। इस प्रस्ताव से 45000 बालिकाएं प्रभावित हुई हैं। उन्हें शैक्षणिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी। उसके बारे में क्या कहना है? *(व्यवधान)* उनके लिए कुछ कीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: यदि यह राज्य का विषय है तो भी मैं संबद्ध राज्य के मुख्य मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि कोई गम्भीर विचलन है तो उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। *(व्यवधान)* अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, अन्य अल्पसंख्यकों तथा छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए हमने निःशुल्क जल देने के लिए एक नई योजना 'गंगा कल्याण योजना' प्रारम्भ की है। और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में पांच वर्षों के लिए रख-रखाव प्रभार भी कल्याण विभाग के द्वारा वहन किये जायेंगे। हम पैसे देंगे और राज्य सरकार का काम केवल इसे कार्यान्वित करना है क्योंकि हम इसे कार्यान्वित नहीं कर सकते। हमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए चाहे यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की बात हो या 'गंगा कल्याण योजना' अथवा 'आवास योजना' के कार्यान्वयन की बात हो। इस वर्ष हम दस लाख शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने जा रहे हैं परन्तु इन लाभान्वितों की पहचान का कार्य राज्य सरकारें करेंगी। मुझे राज्य सरकारों के सहयोग की आवश्यकता है। नहीं तो हमारे लिए इन सारी योजनाओं का कार्यान्वयन असंभव हो जायेगा। इसलिए मैं सभी मुख्य मंत्रियों, चाहे वे किसी भी दल के हों, से अपील करता हूँ कि वे इनमें से कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार का सहयोग करें क्योंकि ये समाज के कमजोर वर्ग के लिए सहायक होंगी। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

दूसरी बात मूल्यवृद्धि के बारे में है। सदस्यों द्वारा उठाया गया यह प्रमुख मुद्दा था। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। मैंने इस बात का पता लगवाया कि क्या हम अचानक छापे डाल सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि जब तक राज्य सरकारें सहयोग न करें, यह संभव नहीं है। इसलिए, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरों के साथ सख्ती से निपटें। एक दो राज्यों ने सहयोग किया है... *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: उन राज्यों के क्या नाम हैं... *(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं अन्य राज्यों पर सन्देह नहीं करना चाहता। मैं उनसे केवल जमाखोरों के खिलाफ सख्ती बरतने की अपील करता हूं। अन्यथा, केन्द्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। केन्द्र सरकार तो उन्हें केवल सुझाव दे सकती है। जहां तक इस क्षेत्र का सवाल है, केन्द्र उन पर केवल कड़ी कार्यवाही करने के लिए दबाव डाल सकती है। .. *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री महोदय, आप अपना भाषण जारी रखें। आपको सबका जबाब देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, तो उसका कहीं अन्त नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: गरीब राज्यों के गरीब लोगों का क्या होगा... *(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: संसाधन जुटाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिजली क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विद्युत मंत्रालय पर 8,512 करोड़ रुपये बकाया है। एक दो को छोड़कर प्रायः सभी बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि राज्य सरकारों से कैसे सहयोग करें। बिजली की आपूर्ति के लिए हम नेशनल पावरग्रिड के लिए क्या कर रहे हैं? कुल 8,512 करोड़ रुपये बकाया है जिसमें उत्तर प्रदेश पर 1791 करोड़ रुपये, बिहार पर 1771 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल पर 876 करोड़ रुपये, दिल्ली पर 863 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश पर 697 करोड़ रुपए, हरियाणा पर 571 करोड़ रुपए, जम्मू और कश्मीर पर 325 करोड़ रुपये ... *(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: बिहार के बारे में क्या हुआ?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैंने आपको बताया, आपने ध्यान से नहीं सुना। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं?

श्री राजीव प्रताप रूडी: उसे बट्टे खाते में डाल दीजिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: हम उसे बट्टे खाते में डाल सकते हैं। यह तो बहुत आसान है.. *(व्यवधान)* यहां तक कि कोयले की आपूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों को 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा केन्द्र सरकार को अर्थात् रेलवे और कोयला मंत्रालय को देय है। जब तक वे हमारे साथ सहयोग नहीं करते, वही सुविधाएं देना कठिन है। अब हमने 'नकद भुगतान करो और ले जाओ' के आधार पर देने का निर्णय लिया है। अन्यथा, राज्यों को अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि वे सोचते हैं कि केन्द्र सरकार सब कुछ उपलब्ध करा सकती है। हमारे लिए यह व्यावहारिक रूप से असंभव है और हमने इसे स्पष्ट कर दिया है कि आज के बाद यह 'नकद भुगतान करो और ले जाओ' के आधार पर ही होगा। इसलिए, लिए गए निर्णयों में से यह एक है। मुझे सदन का सहयोग चाहिए।

कुछ सदस्यों ने पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की समस्या तथा अन्य मुद्दे उठाए हैं। मैं इनका उल्लेख करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य: पिछड़े राज्यों के बारे में क्या विचार है?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: हमने जो नई योजनाएं लागू की हैं उसमें पिछड़े राज्यों को भी काफी बड़ा हिस्सा मिलेगा। कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश ही नहीं... *(व्यवधान)* उन्हें एक बड़ा हिस्सा मिलेगा... *(व्यवधान)* उन्हें हिस्सा मिलेगा।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के मुद्दों को नहीं ले रहा हूं क्योंकि इस पर चर्चा के लिए अलग समय निर्धारित किया गया है। जम्मू कश्मीर में विधान सभा का सफल चुनाव और लोकप्रिय सरकार का गठन, राज्य में सामान्य जन-जीवन बहाल करने और राज्य को आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर करने के बारे में एक बड़ा कदम है। राज्य में चुनाव के बाद सुरक्षा की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। शान्ति भंग करने के लिए की गई कुछ हिंसक घटनाएं सामान्य जन-जीवन की पूर्ण बहाली के रास्ते में रोड़ा अटका रही हैं। ये घटनाएं आतंकवादियों और सीमा पार उनके संरक्षकों के राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को छिन्न-भिन्न करने के इरादों की असफलता के परिणामस्वरूप उपजी निराशा का प्रतिफल है। हम स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए हैं और राज्य सरकार के सतत् सम्पर्क में हैं। मैंने गत तीन महीनों में राज्य का तीन बार दौरा किया और यह सुनिश्चित करना चाहा कि हमारी सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की गई थी उसे पूरा किया जाए।

कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की अशान्त स्थिति निश्चय ही चिन्ता का विषय है। हाल के सप्ताहों में त्रिपुरा में हिंसक वारदातों में वृद्धि हुई है। असम और मणिपुर की हालत भी सन्तोषजनक नहीं है। मैंने पूर्वोत्तर के सात राज्यों में लोगों की समस्याओं के अध्ययन के लिए इन राज्यों का गत वर्ष अक्तूबर में दौरा किया था। यात्रा के अन्त में मैंने राज्य में सामान्य जन-जीवन की बहाली और इस क्षेत्र में विकास की गति तेज करने के उद्देश्य से 'पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनेक नई पहलों' से युक्त कार्यक्रमों के एक पैकेज की घोषणा की थी। हम इस पैकेज में उल्लिखित योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन निगरानी कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत संरचना और मूलभूत न्यूनतम सेवाओं में अन्तर का पता लगाने हेतु एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया है पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षितों को रोजगार देने हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने तत्परता के साथ काम करना शुरू कर दिया है।

अब मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अपने पूर्वोत्तर के दौरों के दौरान, मैंने इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति के लिए राजनैतिक समाधान हेतु भूमिगत संगठनों से बिना शर्त वार्ता का आह्वान किया था। मेरा यह भी आकलन था कि इन सभी क्षेत्रों के लोग बड़ी बेसब्री से शान्ति और सामान्य जन-जीवन की बहाली चाहते थे जिससे वे बिना किसी बाधा के अपने काम-धन्धे कर सकें और बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके। मेरे आह्वान का 'नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड' ने जवाब दिया और मैंने इस संगठन के चेयरमैन, श्री आइसैक स्वू और महासचिव श्री मुरवाह से मुलाकात की। यह सहमति हुई कि आगे और वार्ता होगी। मैंने नागालैंड के मुख्य मंत्री और अन्य नेताओं से भी इस मुद्दे पर बात की और जहां तक नागालैंड में सामान्य जन-जीवन की बहाली की बात है वे अपना पूर्ण समर्थन देने पर सहमत हो गए हैं।

यह बहुत ही उलझा हुआ मामला है। लेकिन पहली प्रतिक्रिया यह है कि उन्होंने सहयोग देने का आश्वासन दिया है। मैं इस प्रगति से सदन को अवगत कराना चाहूंगा।

मैं इस अवसर पर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह का रास्ता अपनाए संगठनों से हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत करने का फिर आह्वान करता हूं जिससे स्वीकार्य हल निकाला जा सके। इस मुद्दे पर सदन बहुत चिन्तित है। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर का प्रश्न है, सरकार ने अपनी सीमाओं के भीतर प्रयास किया है कि हमें कुछ आदिवासी तथा उग्रवादी संगठनों का सहयोग मिल सके। इसीलिए, मैंने बिना शर्त आह्वान किया है और दो नेताओं ने हमसे मुलाकात भी की और अपना आश्वासन भी दिया है। राज्य सरकार और अनेक नेताओं के सहयोग से इन तीन-चार राज्यों में सामान्य जन-जीवन की बहाली हो सके, हमें यही देखना है। हमें सामान्य जन-जीवन की बहाली अवश्य करनी है। यह बहुत कठिन कार्य है, सदन इस बात से अवगत है पर हम भरसक प्रयास करेंगे। मैं पूरी सत्यनिष्ठा के साथ इस सदन को आश्वासन देता हूं... *(व्यवधान)*

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर)**:** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार विद्रोह को विफल करने की कार्यवाही पर आने वाली लागत में हिस्सा देगी?

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर)**:** पिछली सरकार ने और भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने के.बी.के. के लिए करीब 5,500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। आप भी उस विशेष पिछड़े क्षेत्र में गए हैं और आपने भी उस पिछड़े क्षेत्र का दौरा किया और प्राकृतिक आपदाओं तथा सूखा के लिए 50 करोड़ रुपये की घोषणा की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप सूखा प्रवण क्षेत्रों की धनराशि को समायोजित करेंगे अथवा नहीं... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)**:** प्रत्येक राज्य अपनी समस्याएं बता रहा है। अभी उन्हें जिलावार शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री महोदय कब तक जवाब देते रहेंगे? जब प्रधान मंत्री महोदय महत्वपूर्ण चर्चा का जबाव दे रहे हैं हमें कुछ तो शिष्टता दिखानी चाहिए। यदि कोई प्रश्न है तो वे उसे बाद में पूछ सकते हैं। पहले भी माननीय सदस्यों ने इस प्रक्रिया का पालन किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसा न करें।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व)**:** उन्होंने सोचा कि उनका भाषण समाप्त हो गया है।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: कल मैंने उड़ीसा के बारे में वायदा किया था जिसके बारे में आपकी यह धारणा थी कि धनराशि जारी करते समय

[श्री एच.डी. देवेगौड़ा]

मैंने उड़ीसा के प्रति भेदभाव किया है। उनका यह विचार था कि मैंने उड़ीसा का नहीं बल्कि आन्ध्र प्रदेश का समर्थन किया है। उनकी यह भावना या धारणा थी। मैं आपको यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि कल मैंने सभा को आश्वासन दिया था कि मैं सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए उड़ीसा को दी गई धनराशि के बारे में विस्तार से जवाब दूँगा। उड़ीसा के दौरे के बाद मैंने 50 करोड़ रुपये देने का वायदा किया था। कल ये लोग संदेह कर रहे थे कि यह धनराशि जारी नहीं की जाएगी। उड़ीसा के कुछ माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को भी उठाया है। शुरू में हमने 106 करोड़ रुपये जारी किए और उसके बाद 38 करोड़ रुपये ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री जी, अब करीब 1.30 म.प. हो गए हैं, यदि आप प्रत्येक व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब देने के बजाए महत्वपूर्ण मुद्दों को समाप्त कर दें तो अच्छा होगा।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: हालांकि पहले की धनराशि खर्च नहीं की गई है और धनराशि के उपयोग का प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है फिर भी हमने कुल मिलाकर 144 करोड़ रुपये रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त नौवें वित्त आयोग के अनुसार राज्य अकाल राहत कोष की पूरी धनराशि जारी कर दी है तथा विशेष मामले के रूप में उड़ीसा को अकाल राहत कोष से 50 करोड़ रुपये भी जारी किए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री महोदय, आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब दें।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूँगा।

इस सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृषि विकास तथा औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। हमारा इरादा अनेक रियायतें देकर विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन देने का नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त मात्रा में स्वदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी निवेश को आकर्षित किया जाए। हमें धन की आवश्यकता है मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इसलिए हमने इस संबंध में कुछ निर्णय लिए हैं और हमने इसका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी किया है।

महोदय, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ। इस सम्मानित सभा में अनेक अर्थशास्त्री हो सकते हैं। मैंने अनेक अर्थशास्त्रियों की सलाह ली है। मैंने 30 दिसम्बर, 1996 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी जिसमें उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों और पूँजी निवेश के क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। मैंने उनके साथ स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श किया। इस बैठक में वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री और सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। हमने उनके विचार सुने। उनके दृष्टिकोणों का पता किया। इसके अतिरिक्त मैंने मुंबई में अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी निवेशकों के साथ भेंट की। इस बैठक का आयोजन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया था। उसके बाद मैं लघु उद्योगपतियों से अलग से मिला। मैंने उनके रवैये का पता किया और अन्ततः मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक हम कुछ रियायतें देकर पूँजी निवेश को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। तब तक इस देश का तेजी से विकास असम्भव है।

महोदय, म्यांमार जैसे छोटे से देश में 4 बिलियन डालर का अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी निवेश हो रहा है। आज, चीन एक साम्यवादी देश है वहाँ भी 100 बिलियन डालर का पूँजी निवेश हुआ है। हमारे यहाँ भी आज तक 1.7 अथवा 1.8 बिलियन डालर का पूँजी निवेश हुआ है। हम चाहते हैं कि इस वर्ष कम से कम 10 बिलियन डालर का पूँजी निवेश हो। हमने पूंजी निवेश के लिए विद्युत, खनन, कोयला और राजमार्ग क्षेत्र को खोल दिया है। हमने पूँजी निवेश के लिए इन कतिपय क्षेत्रों को खोला है... *(व्यवधान)* मेरे विचार से स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को पूँजी निवेश के लिए खोलने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा।

हमने इसके लिए संचार क्षेत्र को भी खोल दिया है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे यहाँ पर्याप्त पूँजी निवेश है। अन्यथा विद्युत क्षेत्र के लिए 3,54,000 करोड़ रुपये कहाँ से आयेंगे? यह धन हमें कहाँ से मिलेगा? क्या हम इतनी राशि जुटाने की स्थिति में हैं? इन 50 वर्षों में हम कितने आन्तरिक संसाधन जुटा पाये हैं? इसके लिए ईमानदारी से प्रयास भी किए गये हैं। *(व्यवधान)*

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद)*: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री को इस संबंध में एक तथ्य बताना चाहती हूँ।* बिहार की एक विद्युत परियोजना थी और ओ.ई.सी.एफ. उस परियोजना के लिए धनराशि देने का इच्छुक था। परन्तु आर्थिक मामलों का विभाग इसकी फाइल को दबाकर बैठ गया और उसने ओ.ई.सी.एफ. की पेशकश अस्वीकार कर दी। अब वह कह रहे हैं कि वह विद्युत क्षेत्र में विदेशी पूँजी निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, हमने केवल निवेशकों को ही प्रोत्साहन नहीं दिया है बल्कि हमने कृषि, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर भी विचार किया है। इस बार हमने मानव संसाधन विकास के लिए आवंटन में 2000 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। हमने प्राथमिक शिक्षा और अन्य शैक्षिक आवश्यकताओं को भी महत्व दिया है। हमने सामाजिक क्षेत्र और अल्पसंख्यकों को भी महत्व दिया है? हमने मौलाना आजाद ट्रस्ट के लिए 40 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक विकास निगम के लिए 40 करोड़ तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम के लिए 70 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इस बार इन क्षेत्रों की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह सरकार केवल औद्योगिक विकास ही नहीं बल्कि कृषि विकास भी चाहती है। यह सरकार गरीबों का

ध्यान रखती है, चाहे वे अनुसूचित जातियों के हों या अनुसूचित जनजातियों के हों अथवा अल्पसंख्यकों के हों या समाज के गरीब वर्गों के हों। हमने इन क्षेत्रों के लिए आवश्यक आवंटन करने हेतु पर्याप्त कदम उठाए हैं... *(व्यवधान)*

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, राष्ट्रीय नदी जल नीति का क्या हुआ?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, हम लोकपाल विधेयक ला रहे हैं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: महिला आरक्षण विधेयक का क्या हुआ?

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, मैंने विधि और न्याय मंत्री से स्थाई समिति के समक्ष विचाराधीन लोकपाल विधेयक को पुर:स्थापित करने का निवेदन किया है। हमने इस सत्र में लोकपाल विधेयक को पारित करने का निश्चय कर लिया है... *(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): महोदय, हमें महिला आरक्षण विधेयक की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया जाए कि क्या इस विधेयक को इस सत्र में लाया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: कृपया, उनकी बात सुनिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा: महोदय, मैं सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को विश्वास में लूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि इस बार यह विधेयक पारित हो जाए। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इस बार यह विधेयक भी सभी राजनैतिक दलों के नेताओं की राय से पारित हो जाए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन के लिए माननीय सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: प्रधान मंत्री महोदय, आपने कर्नाटक के मुख्य मंत्री के रूप में राष्ट्रीय नदी जल नीति के लिए लड़ा था।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, धन्यवाद प्रस्ताव पर अनेक संशोधन आए। क्या मैं सभी संशोधनों को सदन के मतदान के लिए एक साथ रख दूं अथवा क्या कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन को अलग से रखेगा?

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा): महोदय मैं, अलग से रखूंगा।

श्री अनंत कुमार: महोदय राष्ट्रीय नदी जल नीति के बारे में क्या है। राष्ट्रीय नदी जल नीति के प्रतिज्ञापन का क्या होगा?

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर): महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है... *(व्यवधान)* मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि प्रधान मंत्री ने वाद-विवाद का उत्तर दे दिया है। किन्तु प्रस्ताव करने वाले को वाद-विवाद का उत्तर देना होगा केवल तभी प्रस्ताव पर इस प्रकार या उस प्रकार का निर्णय लिया जा सकेगा। प्रस्ताव करने वाले को उत्तर देना होगा। प्रस्ताव करने वाले को कुछ कहना होगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं यह नहीं जानता कि यह अनिवार्य है अथवा नहीं। मुझे निश्चित रूप से यह नहीं मालूम कि यह अनिवार्य है अथवा नहीं। नाईक जी, नियम 20 उपखण्ड (2) कहता है कि:

> "प्रस्तावक अथवा प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले को प्रधानमंत्री अथवा किसी अन्य मंत्री द्वारा सरकार की स्थिति स्पष्ट किये जाने के बाद चर्चा के अंत में उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं होगा।"

धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। क्या मैं सभी संशोधनों को सदन के समक्ष मतदान के लिए रख दूँ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय, मैंने संशोधन क्रम संख्या 163 प्रस्तुत किया है, जिसे अलग से रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय: डा. रमेश चन्द तोमर क्या आप अलग से प्रस्ताव रखेंगे?

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : महोदय मैं अलग से प्रस्ताव नहीं रखना चाहता... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अमर पाल सिंह जी, क्या आप अलग से प्रस्ताव देना चाहते हैं? कृपया सुनें, अन्यथा आप अवसर खो देंगे।

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ): महोदय मैं अलग से प्रस्ताव नहीं रखना चाहता... *(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज: महोदय क्या मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को पढ़ दूँ क्योंकि अनेक सदस्य इससे अवगत नहीं हैं।

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए कि:

> "परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एक पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या से संबंधित जैन जांच आयोग द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा नहीं है।"

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, सरकार ने समय और छ: माह बढ़ा दिया है। हमें आशा है कि परिणाम उस अवधि तक आ जायेगा।